न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

225RTA2022-262(GCMS2022-560)

1. ओमप्रकाश दत्तक पुत्र नवलाराम
2. चुन्नीलाल पुत्र गुदडराम
3. भूरकी पत्नी गुदडराम
4. लीलादेवी पुत्री गुदडराम
   जातियान मेघवाल, निवासीगण ग्राम भावी
   तहसील बिलाडा
5. दरिया पत्नी गोविन्दराम
   जाति मेघवाल, निवासी बिलाडा
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
6. अशोककुमार पुत्र रतनलाल
   जाति सिरवी, निवासी ग्राम भावी
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. लादूराम पुत्र पन्नाराम जाति सीरवी
   निवासी भावी, तहसील बिलाडा
   जिला जोधपुर
2. सहकारी भूमि विकास बैंक जरिये प्रबन्धक
   शाखा बिलाडा, तहसील बिलाडा
   जिला जोधपुर
3. यूको बैंक जरिये प्रबन्धक
   शाखा भावी, तहसील बिलाडा
   जिला जोधपुर
4. हीराराम पुत्र कालूराम
   निवासी भावी तहसील बिलाडा
   हाल बकमुकाम उप-मुख्य सलाहकार अधिकारी
   (यातायात लेखा), पश्चिम रेलवे, माल रोड,
   डी.आर.एम.केम्पस, अजमेर
5. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार, बिलाडा
   तहसील परिसर बिलाडा, जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 31 मई 2022 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा प्रकरण संख्या 7/2021 अनवान लादूराम बनाम ओमप्रकाश व अन्य

उपस्थित-
श्री सुनील पटेल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 5

नि र्ण य

दिनांक : 30 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 7/2021 लादूराम बनाम ओमप्रकाश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31 मई 2022 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 22 सितम्बर 2022 को प्रस्तुत की है। साथ ही अपील अन्दर मियादशुमार किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम भी प्रस्तुत किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251-ए के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर ग्राम भावी से ग्राम घाणामगरा को जोडने वाली सडक खसरा संख्या 702 गैरमुमकिन रास्ता से अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 973 रकबा 3.3897 हैक्टेयर वाके ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाडा तक आवागमन हेतु प्रार्थनापत्र के संलग्न नजरी नक्शा में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंकितानुसार आराजी खसरा संख्या 972, खसरा संख्या 972/1, 970 व 965 से रास्ता प्रदान किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 31 मई 2022 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गयी है। मौके पर अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी नवीन रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा नियम 69 एवं 70 की पालना सुनिश्चित नहीं की गयी है। इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने 2019(1) आरआरटी 403 प्रस्तुत की। मियाद के संबंध में मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता द्वारा उन्हें प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होना बताया और कहा कि आवश्यकता होने पर अधिवक्ता द्वारा उन्हें सूचित कर बुला लिया जायेगा। वादीगण-अपीलाण्ट्स इसी विश्वास में रहे, मगर अपीलाण्ट्स को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। जिससे विचारण न्यायालय में आगे की कार्यवाही एवं अपीलाधीन आदेश की अपीलाण्ट्स को समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हो पायी। माह अगस्त 2022 के अंतिम सप्ताह में राजस्व कर्मचारी अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि पर रास्ता का मौका देखने आये तब अपीलाधीन आदेश बाबत अपीलाण्ट्स को भान हुआ, इस पर विचारण न्यायालय में अधिवक्ता के जरिये जानकारी कर नकल हेतु आवेदन किया और

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नकल प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्यवाही कर आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के अन्दर अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है। जो अन्दर मियादशुमार की जावे। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये रेस्पो. संख्या एक की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 973 तक आवागमन हेतु खसरा संख्या 972, 972/1, 970 व 965 में इन खसरान की माठ के सहारे-सहारे न्यूनतम दूरी का रास्ता प्रदान किया गया है। इससे स्वयं अपीलाण्ट्स एवं अन्य खातेदारान को भी अपनी खातेदारी भूमि तक सीधे आवागमन की सुविधा रहेगी। मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन आदेश के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किया जा चुका है। जो रास्ता दिया गया है, वह सीधी माठ से दिया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए, जिन्हें जबाब हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया। आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद विलम्ब से पेश की गयी है और विलम्ब का कोई समुचित संतोषजनक कारण भी प्रकट नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नक्शा किश्तवार लट्ठा-ट्रेस में प्रार्थी-रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 977, 976 व 980 के बाद अन्य रास्ता मौजूद है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर जो मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गयी है, उसका अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु पक्षकारान को मौके पर उपस्थित रहने हेतु तहसील कार्यालय से नोटिस जारी किये जाने का कोई विवरण अंकित ही नहीं है और मौके पर मात्र प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक की उपस्थिति दर्शाते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है। अपीलाण्ट्स-अप्रार्थीगण की उक्त मौका रिपोर्ट में न तो उपस्थिति दर्शायी गयी है और न ही मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स के कोई हस्ताक्षर या अंगुष्ठ-निशान है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर कोई गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जिससे जाहिर है कि नियम 69 की पालना सुनिश्चित नहीं की गयी है जबकि 2019(1) आरआरटी 403 में माननीय न्यायालय द्वारा धारित मतानुसार ऐसा किया जाना आवश्यक है।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, प्रकरण गुणावगुण पर सारवान पाये जाने से न्यायहित में आलौच्य अपील अन्दर-मियाद शुमार की जाती है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाकर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31 मई 2022 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मामले में नये सिरे से मौका रिपोर्ट तलब की जावे और अपीलाण्ट सहित उभय पक्षकारान को अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया किया जाकर अन्य वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तथा संबंधित नियमों एवं कानूनी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रकरण का पुनः न्यायोचित निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
जोधपुर